भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *145
उत्तर देने की तारीख 12.02.2026

सांस्कृतिक मंडलियों का प्रायोजन

***145. श्री शुभाशीष खुंटिया :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी) के माध्यम से सांस्कृतिक मंडलियों के प्रायोजन हेतु विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ईजेडसीसी द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक मंडलियों की संख्या और प्रकार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आवंटित, निर्गत और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'सांस्कृतिक मंडलियों का प्रायोजन' के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2026 को माननीय संसद सदस्य श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *145 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी) की स्थापना 1985 में की गई थी और यह पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और यह संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में देश में स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में से एक है। ईजेडसीसी के मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक एकीकरण एवं इस क्षेत्र की लोक/पारंपरिक कलाओं का परिरक्षण, संवर्धन और प्रसार करना है। इसके सदस्य राज्य असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह हैं। ईजेडसीसी अपने सदस्य राज्यों में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों/कार्यक्रमों/उत्सवों का आयोजन करता है जिसके लिए उन्हें वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

ईजेडसीसी के माध्यम से 2024-25 के दौरान सांस्कृतिक मंडलियां प्रायोजित करने के लिए विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनुरोधों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2024-25 के दौरान प्राप्त अनुरोध**	**2024-25 के दौरान स्वीकार किए गए अनुरोध**
i.	असम	10	09
ii.	बिहार	14	12
iii.	झारखंड	15	10
iv.	ओडिशा	220	190
v.	सिक्किम	05	03
vi.	मणिपुर	03	01
vii.	त्रिपुरा	07	05
viii.	पश्चिम बंगाल	200	184
ix.	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	04	02
कुल		**478**	**416**

ईजेडसीसी में कार्यक्रम समिति मौजूद है जो सदस्य राज्यों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर निर्णय लेती है। इसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सदस्य राज्यों के संस्कृति सचिव भी शामिल हैं।

व्यापक चयन मानदंड निम्नानुसार हैं:

- सदस्य राज्यों/संगठनों से किसी विशिष्ट कला रूप की मांग
- उस समय के दौरान कलाकारों की उपलब्धता
- कार्यक्रम की प्रकृति
- वीआईपी सिफारिशें
- संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशें
- लुप्तप्राय और संकटापन्न कला रूपों को प्राथमिकता दी जाती है
- एक जांच सूची का रखरखाव किया जाता है ताकि बार-बार उन्हीं कलाकारों को शामिल न किया जाए।

(ख): वर्ष 2024-25 के दौरान ईजेडसीसी द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक मंडलियों की संख्या और प्रकार का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रायोजित सांस्कृतिक मंडलियों की संख्या**	**प्रायोजित कलाकारों की संख्या**	**कला रूपों के नाम**
i.	असम	38	460	बिहू, कामरूपिया धूलिया, देवधानी नृत्य, गोलपाड़िया लोक गीत, ओझापाली, देवधानी नृत्य, टोकरी और देहेबिचार गीत, कार्बी जनजाति का दोमाही किंकांग
ii.	बिहार	234	2812	गाथा गायन, भोजपुरी संस्कार गीत (लोक नृत्य और गीत), झिझिया नृत्य (लोक नृत्य और गीत), झरनी नृत्य (लोक नृत्य और गीत), गाथा गायन (हरि कथा - लोक नृत्य और गीत), कर्मा (लोक नृत्य और गीत), मैथिली (लोक नृत्य और गीत), जट जटिन (लोक नृत्य और गीत), बिदेसिया गीत (लोक नृत्य

				और गीत), झुमरी (लोक नृत्य और गीत), लोक गीत (लोक नृत्य और गीत), सामा चकेवा (लोक नृत्य और गीत), नारदी गान (लोक नृत्य और गीत), रेशमा चूरनमल (लोक कथा, नृत्य और गीत), बिदेसिया गायन (लोक गीत), बगुला बिहारी (लोक गीत), देवी मनोन गायन (लोक गीत), बगुला बिहारी (नृत्य नाटिका - लोक रंगमंच), बधईयां नृत्य (लोक नृत्य और गीत) और सोहार गान (लोक नृत्य और गीत)
iii.	झारखंड	127	1530	पाइका (लोक नृत्य), किहो (लोक नृत्य), सेराइकेला छऊ (लोक नृत्य और गीत), रिंझा (लोक नृत्य और गीत), करम नृत्य (लोक नृत्य और गीत), फघवा (लोक नृत्य और गीत), कोरबा डांग (लोक नृत्य और गीत), तुरी डांग (लोक नृत्य और गीत), करसा डांग (लोक नृत्य और गीत), लोक गाथा (लोक नृत्य और गीत), डोमकाच (लोक नृत्य और गीत) और जट जटिन (लोक नृत्य और गीत)
iv.	ओडिशा	169	1030	रणपा नृत्य, संबलपुरी (लोक गीत और नृत्य), धाप (लोक गीत और नृत्य), दलखाई (लोक गीत और नृत्य), रसरकेली (लोक गीत और नृत्य), छुटकू छुटा (लोक गीत और नृत्य), घुबकुडु (लोक गीत और नृत्य), घुमुरा (लोक नृत्य और गीत), बजासल (लोक नृत्य और गीत), बानाबाड़ी (लोक नृत्य और गीत), चैती घोड़ा नाचा (लोक नृत्य और गीत), डंडा नाटा (लोक नृत्य और गीत), पाइका अखाड़ा (लोक नृत्य और गीत) और गौतीपुआ नृत्य (लोक नृत्य और गीत)
v.	सिक्किम	15	180	नौमती बाजा, नेवाड़ गुटी, बालन लोक रंगमंच, मंगर नृत्य, मारुनी, घंटू , सिंघी छम, यक छम और तमांग सेलो
vi.	मणिपुर	22	269	शुमांग लीला, मणिपुरी रास लीला, तांग ता, माइबी नृत्य, पारंपरिक नृत्य परिधान बनाना
vii.	त्रिपुरा	11	143	बीजू नृत्य, संगराई मोग, होज़ागिरी, ममिता, मसक सुल्मानी जादुकलीचा, चोंगप्रेंग (पारंपरिक संगीत

				वाद्ययंत्र)
viii.	पश्चिम बंगाल	445	5340	अलकाप गान, बोनबिबिर पलागान (जात्रा), भटियाली गान (लोक गीत), माझी मल्लार गान (लोक गीत), दक्षिण रायर गान (लोक गीत), डांग (लोक नृत्य और गीत), बहा (लोक नृत्य और गीत), लगाडे (लोक नृत्य और गीत), सोहराई (लोक नृत्य और गीत), चादर बांधनी (लोक नृत्य और गीत), दंसहाई (लोक नृत्य और गीत), महाली नृत्य (लोक नृत्य और गीत), गंभीरा, लहंकारी, नटुआ, बागपा नृत्य, अलकाप नाटक और तुक्का गान
ix.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	43	522	निकोबारी नृत्य, ग्रेट अंडमानी के नृत्य और स्टिक डांस (युद्ध कला)

(ग): वर्ष 2024-25 के दौरान ईजेडसीसी को 1145.48 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसका उपयोग उनके द्वारा यथोचित रूप से कर लिया गया है।
